

## IRDAI (ट्रेड क्रेडिट इश्योरेंस) दशिया-नरिदेश, 2021

### प्रलिमिंस के लयि:

फैक्टरगि वनियिमन, ट्रेड क्रेडिट इश्योरेंस, एमएसएमई

### मेन्स के लयि:

ट्रेड क्रेडिट इश्योरेंस का कवरेज एवं लाभ

### चर्चा में क्यौं?

हाल ही में [भारतीय बीमा नयिामक और वकिसास प्राधकिरण](#) (IRDAI) ने व्यापार ऋण बीमा (Trade Credit Insurance) के लयि संशोधति दशिया-नरिदेश जारी कयि है।

### प्रमुख बदि

#### ■ व्यापार ऋण बीमा :

##### ○ परचिय:

- व्यापार ऋण बीमा व्यवसायों को वसतुओं और सेवाओं के गैर-भुगतान के जोखमि से बचाता है।
- यह आमतौर पर खरीदारों के एक पोर्टफोलियो को कवर करता है तथा एक चालान या कई चालानों के सहमतिप्रतशित की क्षतपूरत करता है जैसे लंबे समय तक डफिॉल्ट या दविला/दविलायिपन के परणामस्वरूप धन संशाधति नहीं कयि गया हो।
- यह व्यापार को सुवधाजनक बनाकर कसिी देश के आर्थकि वकिसास में योगदान देता है और भुगतान जोखमिों के कारण होने वाले व्यापार घाटे का समाधान कर आर्थकि स्थरिता में सुधार लाने में मदद करता है।

##### ○ कवरेज:

- यह वसतुओं और सेवाओं के वकिरेताओं या आपूरतकिरतताओं, फैक्टरगि कंपनयिों (फैक्टरगि वनियिमन अधनियिम, 2011 में परभाषति) एवं बैंकों तथा वत्तितीय संस्थानों को जारी कयि जा सकता है।
- बैंकों एवं वत्तितीय संस्थानों और फैक्टरगि कंपनयिों को खरीदार से भुगतान प्राप्त न होने के कारण, वाणजियकि या राजनीतकि जोखमिों, खरीदे या भुनाए गए बलिों और चालानों के वरिद्ध होने वाले नुकसान को कवर करता है।

- वाणजियकि जोखमिों में खरीदार की दविला या वसितारति चूक, अनुबंध की शर्तों के अधीन डलिीवरी के बाद खरीदार द्वारा अस्वीकृत और शपिमेंट से पहले अस्वीकृत एवं संग्रहकरतता बैंक की वफिलता के कारण भुगतान की प्राप्ति न होना शामिल है।

- राजनीतकि जोखमि कवर केवल भारत के बाहर के खरीदारों के मामले में उपलब्ध है और इसमें खरीदार के देश तथा भारत के बीच युद्ध की घटना एवं शतरुता, गृहयुद्ध, वदिरोह, क्रांति, अशांति या खरीदार के देश में अन्य गड़बड़ी शामिल होगी।

##### ○ प्रयोज्यता:

- ये दशिया-नरिदेश बीमा अधनियिम, 1938 के तहत पंजीकृत सामान्य बीमा कारोबार करने वाले सभी बीमाकरताओं पर लागू होंगे।
- हालाँकि [ECGC लिमिटेड](#) (पूरव में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को इन दशिया-नरिदेशों के आवेदन से छूट दी गई है।

#### ■ उठाए गए कदम के लाभ:

- यह सामान्य बीमा कंपनयिों को देश में व्यवसायों के जोखमि का प्रबंधन करने, नए बाजारों तक पहुँच प्रदान करने और व्यापार वत्तिपोषण

पोर्टफोलियो से जुड़े गैर-भुगतान जोखिम के प्रबंधन में मदद करेगा।

- यह सामान्य बीमा कंपनियों को इन उद्यमों की उभरती बीमा जोखिम ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिये अनुकूलति कवर के साथ व्यापार ऋण बीमा की पेशकश करने में सक्षम करेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/irdai-trade-credit-insurance-guidelines,-2021>

